

प्रेस नोट दिनांक 11.04.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 11.04.2026

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा गैर-इरादतन हत्या के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तों/अभियुक्ता को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत राजमतीपुर मट्टन नाला पुल के पास से किया गया गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्तों व अभियुक्ता की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 03 अदद लाठी/डंडा बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03/04/2026 समय वादिनी निवासी ग्राम मुरैनी थाना सांगीपुर प्रतापगढ़ अपने दरवाजे पर बैठी थी, आरोपीगणों द्वारा लाठी-डंडा लेकर आए और गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। प्रार्थिनी के घर में घुसकर आरोपियों ने उसके परिजनों को भी मारपीट कर घायल कर दिया, जिससे वे बेहोश हो गए। जाते समय आरोपीगण जान से मारने की धमकी देते हुए घर का सामान तोड़कर चले गए। उक्त के संबंध में थाना सांगीपुर पर मु0अ0सं0 64/2026 धारा 115 (2)/352/351 (3)/333/324 (2)/110 बीएनएस बनाम 03 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर के उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह हे0 का कमलाशंकर दुबे, का0 सुनील दुबे, म0का0 गुन्चा सनोवर व म0का0 सरिता देवी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 64/2026 धारा 105/115(2)/352/351 (3)/333/324 (2)/110 बीएनएस थाना सांगीपुर से संबंधित 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता, 1. सूरज वर्मा पुत्र सोहनलाल वर्मा उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम मुरैनी थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़, 2. वीरेन्द्र वर्मा पुत्र श्यामलाल वर्मा उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम किशुनपुर थाना डीह जनपद रायबरेली व 01 अभियुक्ता को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत राजमतीपुर मट्टन नाला पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों व अभियुक्ता की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 03 अदद लाठी/डंडा बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सूरज वर्मा पुत्र सोहनलाल वर्मा उम्र करीब 22 वर्षनिवासी ग्राम मुँरैनी थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
02. वीरेन्द्र वर्मा पुत्र श्यामलाल वर्मा उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम किशुनपुर थाना डीह जनपद रायबरेली ।
- 03 अभियुक्ता ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह हे0 का कमलाशंकर दुबे, का0 सुनील दुबे, म0का0 गुन्चा सनोवर व म0का0 सरिता देवी थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 11.04.2026

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर व थाना रानीगंज की संयुक्त कार्यवाही द्वारा 25000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त राजू यादव को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत भुजैनी फाटक के पास कहला नहर से के पास से गिरफ्तार किया गया। ईनामिया अभियुक्त राजू यादव पर जनपद प्रतापगढ़ में गैंगस्टर एक्ट, लूट, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, विस्फोटक अधिनियम जैसे लगभग 07 गंभीर अपराध पंजीकृत है-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना फतनपुर के उ0नि0 संतोष कुमार वर्मा मय हमराह का0 रुद्रांश चौबे व हस्बुल तलब हमराह का0 सुशील कुमार पटेल व थाना रानीगंज के उ0नि0 शिवेन्द्र यादव मय हमराह का0 आशीष द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना फतनपुर प्रतापगढ़ से संबंधित 25000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त राजू यादव पुत्र माताफेर यादव उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम गौरा पूरेबदल थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत भुजैनी फाटक के पास कहला नहर से के पास से गिरफ्तार किया गया ।

ईनामिया गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. राजू यादव पुत्र माताफेर यादव उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम गौरा पूरेबदल थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

01- अभियुक्त राजू यादव पुत्र माताफेर यादव उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम गौरा पूरेबदल थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 343/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 53/21 धारा 420 भादवि व 20 एनडीपीएस एक्ट, थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 149/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0 150/21 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0 236/22 धारा 323/504/506 भादवि, थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।
06. मु0अ0सं0 09/23 धारा 392/341/411 भादवि, थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।
07. मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2/3 गैग्रेस्टर एक्ट थाना फतनपुर प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

01. उ0नि0 संतोष कुमार वर्मा मय हमराह का0 रुद्रांश चौबे व हस्बुल तलब हमराह का0 सुशील कुमार पटेल थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
02. उ0नि0 शिवेन्द्र यादव मय हमराह का0 आशीष थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक- 11.04.2026

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

“प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता : मोटरसाइकिल चोरी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस की बड़ी कार्यवाही : मोटरसाइकिल चोरी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद-

प्रतापगढ़।

दिनांक 08.04.2026 को वादी अपनी मोटरसाइकिल को निर्मल तिराहा स्थित अपनी दुकान के पास खड़ी कर अपना कार्य कर रहा था। कुछ समय पश्चात बाहर आने पर मोटरसाइकिल उक्त स्थान से गायब मिली। आसपास पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वाहन चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 225/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशांत राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष

कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 अमित सिंह मय हमराह का0 नागेन्द्र खरवार, का0 सोनवीर सिंह व का0 योगेन्द्र कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 225/2026 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त उत्तम सिंह पुत्र नागेन्द्र बहादुर सिंह उर्फ ननकऊ निवासी महेरी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को चोरी की 01 मोटरसाइकिल के साथ थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत सैया बांध रेलवे लाइन के पास से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. उत्तम सिंह पुत्र नागेन्द्र बहादुर सिंह उर्फ ननकऊ नि0 महेरी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 83/2026 धारा 115(2), 351(2), 333,352 बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

02. मु0अ0सं0 225/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अमित सिंह मय हमराह का0 नागेन्द्र खरवार, का0 सोनवीर सिंह, का0 योगेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 11.04.2026

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त स्नेहिल उर्फ गोलू को किया गया गिरफ्तार-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ATL मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशांत राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अवधेश सिंह मय हमराह का0 प्रवीण कुमार व का0 राहुल सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137 (2)/87/65(1) BNS व 5(J) (2)/6 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित अभियुक्त स्नेहिल उर्फ गोलू पुत्र अजय लाल उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम फुलवारी टेउंगा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ATL मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.स्नेहिल उर्फ गोलू पुत्र अजय लाल उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम फुलवारी टेउंगा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अवधेश सिंह मय हमराह का0 प्रवीण कुमार व का0 राहुल सिंह थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 11.04.2026

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा “ आत्महत्या के लिए उकसाना” के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त मो0 वहीद को किया गया गिरफ्तार-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।

वादी की बहन की शादी दिनांक 16.07.2018 को मो0 बासिर पुत्र मो0 सब्बीर निवासी बहलोलपुर थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ के साथ हुई थी। विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज एवं संतान न होने को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था। दिनांक 01.04.2026 को ससुराल पक्ष की प्रताड़ना के कारण वादी की बहन ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के

आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 84/2026 धारा 85/108 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशांत राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 वरुण कुमार सिंह मय हमराह का0 किशन यादव व का0 इग्लेश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्तो, चेकिंग संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्ति के दौरान मु0अ0सं0 84/2026 धारा 85/108 बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त मो0 वहीद पुत्र मो0 शब्बीर उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मो0 वहीद पुत्र मो0 शब्बीर उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 वरुण कुमार सिंह मय हमराह का0 किशन यादव व का0 इग्लेश यादव थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दि0- 11.04.2026

थाना अन्तू, जनपद- प्रतापगढ़

हत्या के प्रकरण में ₹25,000-₹25,000 रुपये के दो इनामिया अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में एक घायल/दोनों गिरफ्तार--

एसटीएफ टीम द्वारा गिरफ्तार कर अभियुक्तों को थाना अन्तू पुलिस में दाखिल कराया गया, जहां पूछताछ के उपरांत आलाकत्ल बरामदगी के दौरान स्थानीय पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई।

अभियुक्त विवेक पाण्डेय उर्फ ऋषिक पाण्डेय द्वारा बैजलपुर पुल के पास पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी (घायल)/गिरफ्तार किया गया।

सह अभियुक्त विपिन तिवारी को सकुशल गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 32 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस व 03 अदद खोखा कारतूस बरामदा।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.04.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व व सहायक पुलिस अधीक्षक/ नगर/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में कार्यवाही की गई।

एसटीएफ टीम द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 73/2026 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित नामजद/वांछित ₹25,000-₹25,000 के दो इनामिया अभियुक्त विवेक पाण्डेय उर्फ ऋषिक पाण्डेय पुत्र बालेंद्र पाण्डेय निवासी ग्राम दसियापुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ तथा सह अभियुक्त विपिन तिवारी पुत्र नन्हे तिवारी निवासी रैबीरजानीपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर थाना अन्तू पुलिस को सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.04.2026 को पंकज कुमार शुक्ला पुत्र कृष्णकुमार शुक्ला निवासी ग्राम डुहिया मामदापुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में उपरोक्त अभियुक्तगण वांछित चल रहे थे तथा दोनों पर ₹25,000-₹25,000 का पुरस्कार घोषित था।

पूछताछ विवरण-

थाना अन्तू पर पूछताछ के दौरान अभियुक्त विवेक पाण्डेय उर्फ ऋषिक पाण्डेय द्वारा बताया गया कि उक्त हत्या में प्रयुक्त तमंचा वह बरामद करा सकता है। इस पर थाना अन्तू पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक अभिषेक कुमार सिरोही मय हमराह उ0नि0 सचिन कुमार यादव, उ0नि0 रामनरेश, हे0का इरफान अहमद, का0 संजय कुमार, का0 प्रदीप, का0 संदीप यादव व चालक का0 रामेश्वर जाट अभियुक्त को लेकर बाउम्मीद बरामदगी आलाकतल हेतु रवाना हुई।

अभियुक्त की निशानदेही पर बैजलपुर पुल के पास पहुंचने पर अभियुक्त द्वारा अचानक पुलिस टीम को धक्का देकर अवैध तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त विवेक पाण्डेय के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ भेजा गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। सह अभियुक्त विपिन तिवारी को सकुशल गिरफ्तार रखा गया है।

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 32 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस, 03 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

घायल/गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. विवेक पाण्डेय उर्फ ऋषिक पाण्डेय पुत्र बालेंद्र पाण्डेय निवासी ग्राम दसियापुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।
02. विपिन तिवारी पुत्र नन्हे तिवारी निवासी रैबीरजानीपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

विवेक पाण्डेय उर्फ ऋषिक पाण्डेय पुत्र बालेंद्र पाण्डेय निवासी दसियापुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़-

1. मु0अ0सं0 65/2021 धारा 323, 504, 506, 341 भादवि थाना अन्तू
2. मु0अ0सं0 281/2022 धारा 308, 323, 504, 506 भादवि व 3(1)(द), 3(2)(5A) एससी/एसटी एक्ट थाना अन्तू
3. मु0अ0सं0 218/2023 धारा 323, 504, 506, 341 भादवि थाना अन्तू
4. मु0अ0सं0 352/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अन्तू
5. मु0अ0सं0 149/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अन्तू
6. मु0अ0सं0 123/2024 धारा 379, 411 भादवि थाना लालगंज
7. मु0अ0सं0 73/2026 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस थाना अन्तू

02- विपिन तिवारी पुत्र नन्हे तिवारी निवासी रैबीरजानीपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़-

1. मु0अ0सं0 50/2026 धारा 115(2), 352, 351(3) बीएनएस थाना अन्तू
2. मु0अ0सं0 73/2026 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस थाना अन्तू

पुलिस टीम-

उ0नि0 एसटीएफ हरीश सिंह चौहान मय टीम , उ0नि0 तेज बहादुर सिंह, हे0का पवन सिंह विशेन, हे0का विनोद कुमार यादव, हे0का देवेन्द्र प्रताप सिंह, हे0का सूरज सिंह, हे0का सुनील कुमार यादव मय चालक अफजाल

थाना अन्तू प्रभारी निरीक्षक अभिषेक कुमार सिरोही मय हमराह उ0नि0 सचिन कुमार यादव , उ0नि0 रामनरेश , हे0का0 इरफान अहमद , का0 संजय कुमार , का0 प्रदीप , , का0 संदीप यादव के चालक का0 रामेश्वर जाट थाना अन्तू पुलिस टीम उ0नि0 रविन्द्र कुमार यादव, हे0का इरफान अहमद, का0 संजय कुमार, का0 प्रदीप यादव, का0 अवधेश, का0 शिवम, का0 कन्हैया विश्वकर्मा मय चालक रामेश्वर।

